भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1430 का उत्तर

रेल कोच फैक्ट्रियों का निजीकरण

1430. श्री ए. राजाः
श्री एस. रामलिंगमः
डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **देश में रेल कोच फैक्ट्रियों की संख्या का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;**

(ख) **क्या सरकार माडर्न कोच फैक्ट्री सहित अपनी कुछ रेल कोच फैक्ट्रियों का निगमीकरण/निजीकरण करने पर विचार कर रही है;**

(ग) **यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;**

(घ) **इसका निगमीकरण/निजीकरण कब तक होने की संभावना है; और**

(ङ) **क्या इस प्रस्ताव का कुछ राज्यों ने विरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?**

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

रेल कोच फैक्ट्रियों के निजीकरण के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री ए. राजा, श्री एस. रामलिंगम और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी के अतारांकित प्रश्न सं. 1430 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): इस समय, रेल मंत्रालय के अंतर्गत तीन सवारी डिब्बा कारखाने आते हैं:-

कारखानों का नाम	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र
सवारी डिब्बा कारखाना (आईसीएफ) चेन्नै	तमिलनाडु
रेल डिब्बा कारखाना (आरसीएफ) कपूरथला	पंजाब
आधुनिक सवारी डिब्बे कारखाना (एमसीएफ), रायबरेली	उत्तर प्रदेश

(ख) से (घ): रेल मंत्रालय ने सवारी डिब्बा कारखानों सहित अपनी उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के लिए कार्य योजना तैयार करने पर विचार किया है। स्वयं उत्पादन इकाइयों में से किसी का भी निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निगमीकरण की रूपरेखा को अंतिम रूप देने और साझेदारों के साथ परामर्श करने से पूर्व इस स्तर पर उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ङ): माननीय मुख्यमंत्री पंजाब से इस संदर्भ में एक पत्र प्राप्त हुआ था और उन्हें उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के संभावित लाभों के बारे में सूचित कर दिया गया है।

******

Sk